संख्या:33/2019/108/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरदोई की विधान सभा-सवायजपुर, बिलग्राम मल्लावॉ, सण्डीला, साण्डी एवं गोपामऊ से संबंधित कार्यो हेतु रू. 2498.97 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 2347.15 लाख (रूपये तेईस करोड़ सैंतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू. में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	सवायजपुर	नेवादा से लुदियापुर तक वि0ख0 भरखनी पेटिंग स्तर तक	2.550	193.540	193.540
2	सवायजपुर	कमालपुर भसीड़ा मार्ग से शाहजहांपुर बार्डर तक वि0ख0 भरखनी पेटिंग स्तर तक	0.250	23.580	23.580
3	सवायजपुर	ग्राम सवायजपुर में मदनपुर मार्ग से देवी मंदिर के सामने सिमरिया मदनापुर रोड़ तक वि0ख0 भरखनी पेटिंग स्तर तक	0.350	30.100	30.100
4	सवायजपुर	ग्राम सवायजपुर में ए0डी0आर0-26 से पुरानी तहसील कंजड बस्ती होते हुए बृम्हानन्द अग्निहोत्री के मकान तक वि0ख0 भरखनी पेटिंग स्तर तक	0.650	51.500	51.500
5	सवायजपुर	उवरिया खुर्द से उवरिया कला तक सम्पर्क मार्ग वि0ख0 भरखनी पेटिंग स्तर तक	1.050	84.490	84.490
6	सवायजपुर	हरपालपुर पलिया रोड से जुगापुरवा तक वि0ख0 हरपालपुर पेटिंग स्तर तक	1.050	86.570	86.570
7	सवायजपुर	बढैयनपुरवा में रंजन के भटटे के पास से भगवत सहाय पू0 प्रधान के मकान से होते हुए अचनकापुर आर0सी0सी0 रोड तक वि0ख0 हरपालपुर पेटिंग स्तर तक	0.300	29.730	29.730
		योग वि0स0 क्षेत्र सवायजपुर	**6.20**	**499.51**	**499.51**
8	बिलग्राम मल्लावा	गोसवा नहर पुलिया से सड़क के दोनो तरफ 100-100 मी0 इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.200	14.550	14.550
9	बिलग्राम मल्लावा	सण्डीला-मल्लावॉ मार्ग से विंध्यावासिनी इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.145	10.000	10.000
10	बिलग्राम मल्लावा	सण्डीला-मल्लावॉ मार्ग से खेल का मैदान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.300	22.620	22.620

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
11	बिलग्राम मल्लावा	बी0यू0ए0 मार्ग से सरदार पटेल महाविद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.050	6.610	6.610
12	बिलग्राम मल्लावा	सण्डीला-मल्लावॉ मार्ग से मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.250	20.01	20.01
13	बिलग्राम मल्लावा	राधौपुर मार्ग से चन्द्रादेवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.142	13.200	13.200
14	बिलग्राम मल्लावा	बी0यू0ए0 मार्ग से एस0एस0 महाविद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.330	34.270	34.270
15	बिलग्राम मल्लावा	बांसा रोड से विंध्यावासिनी मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.250	23.030	23.030
16	बिलग्राम मल्लावा	बरहुआं मूसेपुर में नन्दकिशोर के घर से राकेश नेता की चक्की तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.120	13.670	13.670
17	बिलग्राम मल्लावा	राधौपुर मार्ग से सुखवासी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.300	30.330	30.330
18	बिलग्राम मल्लावा	सुरेश के घर से विधायक निवास तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.500	38.870	38.870
19	बिलग्राम मल्लावा	माधौगंज मार्ग से बहिरवा बाबा मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.250	21.850	21.850
20	बिलग्राम मल्लावा	साधौपुरवा में कन्नौज-बिलग्राम मार्ग से साधौपुरवा अम्बेडकर की मूर्ति तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.450	38.710	38.710
21	बिलग्राम मल्लावा	गोपलिया में सेलापुर मार्ग से किसान दूध डेयरी तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.061	11.060	11.060
22	बिलग्राम मल्लावा	सदरपुर में मुख्य मार्ग से कन्या प्रा0वि0 तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.105	9.850	9.850
23	बिलग्राम मल्लावा	काजीपुर सम्पर्क मार्ग से आर0पी0 पब्लिक इ0का0 तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.210	19.120	19.120
24	बिलग्राम मल्लावा	ब्लाक संसाधन केन्द्र मेन गेट से कार्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.100	15.550	15.550
25	बिलग्राम मल्लावा	माधौगंज-नयागॉव मार्ग से बृजरानी इण्टर कालेज बॉसा तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.500	46.460	46.460
26	बिलग्राम मल्लावा	मुख्य मार्ग से नयागॉव बाजार तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.120	10.550	10.550
27	बिलग्राम मल्लावा	पिपरावां सम्पर्क मार्ग से अब्दुल्लापुर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.500	49.570	49.570
28	बिलग्राम मल्लावा	बखरिया गॉव से मगरहा गॉव तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.500	49.760	49.760
		योग वि0स0 क्षेत्र बिलग्राम मल्लावा	**5.383**	**499.64**	**499.64**
29	सण्डीला	जरहा पुल से चन्दपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	83.040	83.040
30	सण्डीला	सुमेर खेड़ा से मौलवी खेड़ा तक सम्पर्क मार्ग	1.200	71.270	71.270
31	सण्डीला	भरावन पुवायां मार्ग से तुलसीपुर तक सम्पर्क मार्ग	0.700	51.110	51.110
32	सण्डीला	सोनिकपुर से बाड़ेश्वर मंदिर तक सम्पर्क मार्ग	1.200	85.640	85.640
33	सण्डीला	माहुपारा डामर से जमुनिहा होते हुए देवपाई डामर तक सम्पर्क मार्ग	1.000	84.590	84.590
34	सण्डीला	तारा से रामपुरा तक सम्पर्क मार्ग	1.472	124.280	124.280
		योग वि0स0 क्षेत्र सण्डीला	**6.572**	**499.93**	**499.93**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
35	साण्डी	अकबरपुर से हसनापुर तक सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक	3.600	303.640	151.82
36	साण्डी	कबूलपुर से बल्देवपुरवा तक सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक	1.750	152.040	152.040
37	साण्डी	साण्डी रोड से जजवासी तक सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक	1.010	44.210	44.210
		योग वि0स0 क्षेत्र साण्डी	**6.36**	**499.89**	**348.07**
38	गोपामऊ	वीपी0 मार्ग सीतापुर रोड से लम्बुईपुरवा तक लेपन कार्य	1.300	103.050	103.050
39	गोपामऊ	मुरादपुर से बीघारामपुर होते हुये इमामपुर तक लेपन एवं सी0सी0 कार्य	2.050	185.640	185.640
40	गोपामऊ	ग्राम धनेउरा से देवरिया बरखेरवा मार्ग तक लेपन कार्य	0.870	79.180	79.180
41	गोपामऊ	पिहानी बूढागॉव मार्ग से ग्राम मिश्रनपुरवा तक लेपन कार्य	0.680	63.900	63.900
42	गोपामऊ	हर्रेई नहर पुल से खजुरिया पुरवा तक लेपन कार्य	0.810	68.230	68.230
		योग वि0स0 क्षेत्र गोपामऊ	**5.71**	**500.00**	**500.00**
		योग जनपद हरदोई	**30.225**	**2498.97**	**2347.15**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह॥ अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तय्यार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:33/2019/108(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,हरदोई।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह॥ अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह॥।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह॥।

http://shasanadesh.up.nic.in